



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102022-239742  
CG-DL-E-19102022-239742

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4715]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 2022/आश्विन 27, 1944

No. 4715]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2022/ASVINA 27, 1944

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2022

**का.आ. 4927(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित अधिकारी को, सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य किसी अधिकारी के होने पर, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपदा अधिकारी बनने के लिए, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थान के संबंध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन संपदा अधिकारी पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा, नियुक्त करती है।

सारणी

| अधिकारी का पदनाम                                                | सरकारी स्थान के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                             | (2)                                                                                                          |
| अनुभाग प्रधान (स्थापन)<br>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी। | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी की ओर से या द्वारा पट्टे या अद्यापेक्षित पर लिया गया या संबंधित स्थान। |

[फा. सं. 6-15/2022-टीएस-1]

राकेश रंजन, अवर सचिव

**MINISTRY OF EDUCATION**  
**(Department of Higher Education)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th October, 2022

**S.O. 4927(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of gazetted officer of the Government, to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on estate officer by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

**TABLE**

| Designation of the officer                                                       | Categories of public premises and local limits of jurisdiction                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                              | (2)                                                                                                                               |
| Head of Section (Establishment),<br>Indian Institute of Technology,<br>Guwahati. | Premises belonging to, or taken on lease or requisitioned<br>by, or on behalf of the Indian Institute of Technology,<br>Guwahati. |

[F. No. 6-15/2022-TS-I]

RAKESH RANJAN, Addl. Secy.